BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 348 OF 2025

THE MATTER OF:

Anil Kumar Dubey …….**PETITIONER**

VERSUS

Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. …….**RESPONDENT**

INDEX

NDOH : 17.10.2025

S. No.	Particulars	Pages
1.	Response Affidavit On Behalf Of Uttar Pradesh Pollution Control Board (Respondent No.1 & 3), In Compliance With The Order Dated 17.07.2025 Passed By The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	
2.	**Annexure- 1** A copy of the closure order dated 06.10.2025	
3.	**Annexure -2** A copy of the office order dated 23.11.2024	
4.	**Annexure -3** A copy of the compliance report dated 09.10.2025	
5.	**Annexure -4** The copy of the closure order dated 23.05.2025	
6.	**Annexure -5** A copy of the compliance report dated 09.10.2025	
7.	**Annexure -6** The copy of the closure order dated 15.07.2021	
8.	**Annexure -7** A copy of the compliance report dated 13.06.2023	

Respondent No.1 & 3

Through

Harshita Asthi

(HARSHITA RAGHUVANSHI)
Advocate for the Respondent No.3,
Chamber No. 439, 4th Floor,
Block D, Additional Building Complex,
Supreme Court, New Delhi-01

Dated: 14.10.2025
New Delhi

Mobile No. 8090217309
E-mail: harshitaraghuvanshi@hotmail.com

S.No. 13768 Year. 14 Oct 2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 348 OF 2025

IN THE MATTER OF:

ANIL KUMAR DUBEY ...APPLICANT

VERSUS

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD & ORS. ...RESPONDENT(S)

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 17.07.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I Rohit Singh........., aged about ...53........Years, S/o Shri...N.C...Sachan presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "UPPCB), Varanasi, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is working on the above mentioned post and is the authorized officer in the captioned matter and well conversant with the facts and circumstances of the case and as such is well conversant to swear this affidavit.

2. That by mean of this present application the applicant has raised the grievance against the the Respondent No. 7 to 9

Brick Kilns are illegally operating and causing pollution. The further allegation of the applicant is that these brick kilns are using prohibited fuels such as plastic waste, rubber, sugarcane bagasse etc. resulting into severe air pollution and ecological imbalance.

3. That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter Hon'ble Tribunal) vide its order dated 17.07.2025has passed the following directions:

"...2. Learned counsel for the applicant has referred to Annexure A – 4 (Page 67) and has pointed out that the closure order under Section 31 (A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 was passed as against the Respondent No. 7, but in spite of the said closure order, he had continued to operate, therefore another closure order dated 13.05.2025 was passed against it. He has further referred to Annexure A – 5 and has submitted that in respect of the Respondent No. 8, the closure order dated 23.05.2025 has been passed and referring to Annexure A – 6 (Page 71), he has pointed out that in respect of the Respondent No. 9 earlier the closure order dated 13.06.2023 was passed, but on subsequent Joint Inspection he was found to be operating in spite of the closure order.

3. Further submission of the counsel for the applicant is that these brick kilns do not have the CTE or CTO and they are operating without complying with the norms. Learned counsel for the applicant has also referred to the photographs enclosed along with the OA in support

of his submission that these brick kilns are still operating.

4. *The OA raises substantial issue relating to the compliance of the provisions of scheduled enactment.*
5. *Issue notice to the respondents for filing the reply by way of affidavit. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing."*

4. That in this original application the grievance raised by the applicant is that the respondent no. 7 namely M/s Om Brick Udyog (Daya Marka), Village Amaut,Post-Mangari, Tehsil-Pindra,District-Varanasi is running without consent to establish and consent to operate from the State PCB in violation of the various orders of the court.

5. That Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereafter referred as UPPCB) vide letter no. H 33304/C-6/Int Bhattha-704/Bandi Adesh/Varanasi/2025, dated 06.10.2025 has issued closure order under Section 31A of The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981. The copy of the closure order dated 06.10.2025 is being annexed herewith as **Annexure-1** to this report.

6. That the office order of District Magistrate, Varanasi dated 23.11.2024 has constituted the eigth member committee for the compliance of the closure order issued by State Board against the brick kiln in District-Varanasi. The copy of the office order dated 23.11.2024 is being annexed herewith as **Annexure-2** to this report.

नोटरी भारत सरकार
U. K. ...vedi
रजि० नं० ...3373/17
14-10-25
NOTARY GOVT OF INDIA

7. That in pursuance to the office order of District Magistrate, Varanasidated 23.11.2024, the compliance of the closure order dated 06.10.2025 against the brick kiln in question was done by the officials of the above committee on 09.10.2025. A copy of the compliance report dated 09.10.2025 is being annexed herewith as **Annexure-3** to this report.
8. That UPPCBvide letter no. H 28550/C-6/Sa-693/Int Bhattha/Bandi Adesh/Varanasi/2025, dated 23.05.2025 has issued closure order against respondent no.8 namely M/s SS Int Udyog, Village-Khewasipur,Post-Korut, Thana-Lohta, Tehsil-Rajatalab,District-Varanasi under Section 31A of The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981. The copy of the closure order dated 23.05.2025 is being annexed herewith as **Annexure-4** to this report.
9. That UPPCB handed over closure order to respondent no-9 dated09.10.2025and respondent received with remark that he cannot operate brick kiln without prior CTO permission From the State Board then after in pursuance to the office order of District Magistrate, Varanasi dated 23.11.2024, the compliance of the closure order dated 23.05.2025 against the brick kiln in question was done by the officials of the above committee on 09.10.2025. A copy of the compliance report dated 09.10.2025 is being annexed herewith as **Annexure-5** to this report.
10. That UPPCBvide letter no. H 63451/C-6/Sa-632/Int Bhattha/Bandi Adesh/Varanasi/2021, dated 15.07.2021 had issued closure order against respondent no.9 namely M/s Sagar Int Udyog, Village-Rampur,Post-Ukathi, Tehsil-Sadar,District-Varanasi under Section 31A of The Air

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chatuvedi
रजि०नं०-13373/17
15.10.25
NOTARY GOVT OF INDIA

(Prevention & Control of Pollution) Act, 1981. The copy of the closure order dated 15.07.2021 is being annexed herewith as **Annexure-6** to this report.

11. That in pursuance to the office order of District Magistrate, Varanasi dated 06.02.2023, the compliance of the closure order dated 15.07.2021 against the brick kiln in question was done by the officials of the above committee on 13.06.2023. A copy of the compliance report dated 13.06.2023 is being annexed herewith as **Annexure-7** to this report.

12. That in pursuance to the direction passed by this Hon'ble Tribunal a reply on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chatuvedi
रजि०नं०-13373/17
14.10.25
NOTARY GOVT OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Varanasi.... on this 14th day of October, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Notarial Affidavit
पंजियन / Registration
क्र०सं०/Sr. No. 13968
दि०/Dt. 14.10.25
स्थान/Place Vns
एड०/Adv.
By
एड०Adv. दि०क०वा०
C.C.V. U.P.
14 Oct 2025

नोटरी भारत सरकार
उदयकृष्ण चतुर्वेदी
U. K. Chatuvedi
रजि०नं०-13373/17
14.10.25
NOTARY GOVT OF INDIA

Annexure-I

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या......H33304....वृत्त--6/ईट भटठा-704/बन्दी आदेश/वाराणसी/2025 दिनॉक..06/10/25

सेवा में, पंजीकृत

मेसर्स ओम ईट उद्योग (दया मार्का),
ग्राम-अमौत, पोस्ट-मंगारी तहसील-पिण्डरा, थाना-सिंधोरा,
जनपद-वाराणसी। **(मो0-8737032866)**

यह कि मेसर्स ओम ईट उद्योग (दया मार्का), ग्राम-अमौत, पोस्ट-मंगारी तहसील-पिण्डरा, थाना-सिंधोरा, जनपद-वाराणसी जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईंट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0-एच.31800/वृत्त-6/ईट भट्ठा-704/का0ब0नो0/वाराणसी/2025 दिनांक 21.08.2025 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्ठे को दिनांक 25.08.2025 प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्ठे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.08.2025 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.09.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी की उक्त आख्यानुसार ईट भट्ठे का जिओ को-आर्डिनेट्स-25.4723316 अक्षांश एवं 82.8779502 देशान्तर है। ईट भट्ठा स्थल के पूरब दिशा-लगभग 200 मीटर की दूरी पर सतोमहुआ-मंगारी मार्ग एवं 2-4 मकान व लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्राम-अमौता की आबादी स्थित है, पश्चिम दिशा में लगभग 300 मीटर की दूरी पर ग्राम-अमौत की मुख्य आबादी स्थित है, उत्तर दिशा में लगभग 200 मीटर की दूरी पर लिंक मार्ग से सटे 2-3 मकान व लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम-अमौत की आबादी स्थित है, दक्षिण दिशा में लगभग 625 मीटर की दूरी पर ग्राम्यचल महिला विद्यापीट, गंगापुर, मंगारी एवं नारायनी चैलंजर कांवेन्ट विद्यालय तत्पश्चात् छिट-पुट आबादी स्थित है तथा दक्षिण-पूरब दिशा में लगभग 600 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, अमौत स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईंट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नही है।

यह कि ईंट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नही किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्ठे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के

पत्र दिनांक 19.09.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति के दृष्टिगत ईट भट्ठा मेसर्स ओम ईट उद्योग (दया मार्का), ग्राम-अमौत, पोस्ट-मंगारी तहसील-पिण्डरा, थाना-सिंधोरा, जनपद-वाराणसी के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स ओम ईट उद्योग (दया मार्का), ग्राम-अमौत, पोस्ट-मंगारी तहसील-पिण्डरा, थाना-सिंधोरा, जनपद-वाराणसी के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्ठे मेसर्स ओम ईट उद्योग (दया मार्का), ग्राम-अमौत, पोस्ट-मंगारी तहसील-पिण्डरा, थाना-सिंधोरा, जनपद-वाराणसी की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भटठे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Digitally signed by
Radhey Shyam
Date: 06-10-2025
16:34:59

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी-वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी 1 दिनांक 15.03.2021 तथा बंदी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों,जिला पंचायत,खनन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों को निर्देशित करने का कष्ट करें
2. पुलिस आयुक्त,वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी 1 दिनांक 15.03.2021 के अनुपालन में बंदी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित शासनादेश संख्या-582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी 1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में जिला पंचायत की अनुज्ञा निरस्त करने का कष्ट करें।
4. जिला खनन अधिकारी, वाराणसी इस आशय से प्रेषित शासनादेश संख्या-582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी 1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में खनन अनुज्ञा निरस्त करने का कष्ट करें।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

Annexure-2

कार्यालय जिलाधिकारी, वाराणसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 616 /खनिज अनुभाग/24–25 दिनांकः 23 / 11 /2024

आदेश

जनपद वाराणसी में अवैध रूप से स्थापित/संचालित ईट भट्ठो जिन्हे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति निर्गत नही की गयी है अथवा जिन ईट भट्ठो के विरूद्व उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायू (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है **(संलग्न)**। उन अवैध ईट भट्ठो का संचालन बन्द कराये जाने हेतु निम्नानुसार संयुक्त टीम गठित की जाती है:–

क्रम0 सं0	अधिकारी का पद नाम	
1	उप जिलाधिकारी सदर/पिण्डरा/राजातालाब।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।	सदस्य
3	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
4	सम्बन्धित खण्ड के वाणिज्यकर अधिकारी, वाणिज्यकर विभाग।	सदस्य
5	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत वाराणसी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, जिला पंचायत वाराणसी।	सदस्य
6	अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी।	सदस्य
7	सम्बन्धित क्षेत्र के थानाध्यक्ष।	सदस्य
8	खान अधिकारी/खान निरीक्षक, वाराणसी।	सदस्य

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी गठित समिति के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर जनपद वाराणसी में अवैध रूप से स्थापित/संचालित ईट भट्ठो के संबंध में स्थलीय एवं अभिलेखीय परीक्षण कर उन्हे चिन्हित करते हुये उनके बन्दी कराये जाने के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही एक माह के अन्दर सुनिश्चित कराते हुये समिति की संयुक्त आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें।

(वन्दिता श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
वाराणसी।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित क्षेत्र के थानाध्यक्ष को उक्त कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
2– उप जिलाधिकारी सदर/पिण्डरा/राजातालाब।
3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।
4– मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।
5– अपर आयुक्त (वाणिज्य कर), वाराणसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित खण्ड के सहायक आयुक्त (वाणिज्यकर) को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
6– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत वाराणसी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, जिला पंचायत वाराणसी।
7– खान अधिकारी/खान निरीक्षक, वाराणसी।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
वाराणसी।

Annexure-3

मेसर्स ओम ईंट उद्योग (दया माकी), ग्राम–अमौत, पोस्ट–मंगारी, तहसील–पिण्डरा, जनपद–वाराणसी को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 06.10.2025 एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), वाराणसी के आदेश संख्या–616/ईट भट्ठा बन्दी आदेश/2024–25, दिनांक 23.11.20245 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच.33304/वृत्त–6/ईट भट्ठा–704/बन्दी आदेश/वाराणसी/2025, दिनांक 06.10.2025 द्वारा उक्त संदर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), वाराणसी के आदेश संख्या–616/ईट भट्ठा बन्दी आदेश/ 2024–25, दिनांक 23.11.2024 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री- पंचम राम, सहा० मुंशी की उपस्थिति में दिनांक 09/10/25 को ईट भट्ठे को बन्द कराया गया। बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने के समय उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही ईट भट्ठे का संचालन किया जाये।

क्र0सं0	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
1	राधे श्याम यादव	09/10/2025
2	सुशील कुमार, सहा० वैज्ञानिक अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वाराणसी	09/10/2025
3	राजनाथ चौधरी (वैज्ञानिक सहायक)	9.10.25
4	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी	
5	पंचम राम सहायक मुंशी	पंचम राम
6	मुन्ना ईंटावर	9-10-25 मुन्ना
7	संजय कुमार जायसवाल (श्री राजेश कुमार जायसवाल,	
8	पार्टनर ईंट भट्ठा के भाई)	संजय कुमार जायसवाल 9-10-25 9/10/25

Annexure-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक: 28550 /वृत्त-6/ईंट भट्ठा-693/बन्दी आदेश/वाराणसी/2025 दिनांक 23-5-25

सेवा में, पंजीकृत

मेसर्स एस0एस0 ईंट उद्योग,
ग्राम-खेवरसीपुर, पोस्ट-कोरउत, थाना-लोहता,
जनपद-वाराणसी।
मो0- 9415665079

यह कि मेसर्स एस0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम-खेवरसीपुर, पोस्ट-कोरउत, थाना-लोहता, जनपद-वाराणसी जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईंट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0-एच.26107/वृत्त-6/ईंट भट्ठा-693/का0न0नो0/वाराणसी/2025 दिनांक 24.03.2025 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था, जिसे क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा भी ईंट भट्ठे के मुँशी श्री कमलेश कुमार को दिनांक 02.05.2025 को प्राप्त करा दिया गया था, किन्तु आप द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.03.2025 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा ईंट भट्ठे का स्थली निरीक्षण दिनांक 19.05.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में 3 टन/दिन कोयला को प्रयोग किया जाता है तथा ईंट भट्ठे में फ्लू गैस के उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 30 मीटर चिमनी स्थापित है, जिसमें फ्लू गैस के अनुश्रवण हेतु प्लेटफार्म एवं सीढ़ी की व्यवस्था स्थापित नही पायी गयी है।

यह कि ईंट भट्ठा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 450 मीटर की दूरी पर ग्राम-खेवरसीपुर स्थित है, पश्चिम दिशा में लगभग 250 मीटर की दूरी प्रर राजातालाब-हरहुआ रिंग रोड स्थित है, उत्तर दिशा में लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक फिक्स चिमनी का ईंट भट्ठा तत्पश्चात् लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम-लोहारपुर की छिट-पुट आबादी स्थित है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 150 मीटर की दूरी पर ग्राम-खेवरसीपुर स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईंट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नही है।

यह कि ईंट भट्ठे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नही किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईंट भट्ठे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के पत्र दिनांक 19.05.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईंट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स एस0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम-खेवरसीपुर, पोस्ट-कोरउत, थाना-लोहता, जनपद-वाराणसी के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स एस0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम-खेवरसीपुर, पोस्ट-कोरउत, थाना-लोहता, जनपद-वाराणसी के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईंट भट्ठे मेसर्स एस0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम-खेवरसीपुर, पोस्ट-कोरउत, थाना-लोहता, जनपद-वाराणसी की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईंट भट्ठे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 जिलाधिकारी, वाराणसी।
2 पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, वाराणसी।
4 जिला खनन अधिकारी, वाराणसी।
5 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन/आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

Email sent 26.5.25

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Annexure-5

मेसर्स एस0एस0 ईंट उद्योग, ग्राम–खेवसीपुर, पोस्ट–कोरउत, थाना–लोहता, तहसील–राजातालाब, जनपद–वाराणसी को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 23.05.2025 एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), वाराणसी के आदेश संख्या–616/ईट भट्ठा बन्दी आदेश/2024–25, दिनांक 23.11.20245 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच.28550/वृत्त–6/ईंट भट्ठा–693/बन्दी आदेश/वाराणसी/2025, दिनांक 23.05.2025 द्वारा उक्त संदर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), वाराणसी के आदेश संख्या–616/ईट भट्ठा बन्दी आदेश/ 2024–25, दिनांक 23.11.2024 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री कमलेश कुमार मुंशी की उपस्थिति में दिनांक 09/10/25 को ईट भट्ठे को बन्द कराया गया। बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने के समय उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही ईट भट्ठे का संचालन किया जाये।

क्र0सं0	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
1	संग्राम सिंह नायब तहसीलदार राजातालाब	(signature) 9.10.25
2	मनोज कुमार सहा० अभि०	NT(K) Manoj Kumar
3	चन्द्र प्रकाश वर्मा वैज्ञानिक सहायक क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	(signature) 09/10/25
4	अवनीश कुमार पाण्डेय सहायक-अभियंता वाराणसी	(signature)
5	कमलेश कुमार मुंशी	
6	अभिमन्यु सिंह (पंचायत ...) जिला पंचायत वाराणसी 9/10/2025	
7		
8		

मै० ब्रदर्स S.S ईंट उद्योग ग्राम खेवसीपुर तहसील राजातालाब को बन्द कर दिया गया है। अनिल कुमार

(signature)
9.10.2025
S.S ईंट उद्योग प्रो०

Annexure-6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 63451 /सी–6/सा0–632/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/वाराणसी/2021 *Date* 15.07.2021

<u>पंजीकृत</u>

Sagar Int Udyog, Rampur, Ukathi, Varanasi
<u>जनपद–वाराणसी</u>

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद वाराणसी की सूची में आपके ईट भट्ठें का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

.... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद वाराणसी में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना, स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता हैं:–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

Rtyagi
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014– टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस आयुक्त, वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81– 7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्ठों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

Annexure-7

मेसर्स सागर ईट उद्योग, रामपुर उकथी सदर जनपद–वाराणसी को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 एवं अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी के पत्र संख्या– 1310/ईट भट्ठा बन्दी आदेश/22–23, दिनांक 08.02.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या– एच.63451/सी–6/सा0–632/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/वाराणसी/2022, दिनांक 15.07.2021 द्वारा उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत निर्गत बन्दी आदेश एवं अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी के पत्र संख्या–1310/ईट भट्ठा बन्दी आदेश/22–23, दिनांक 08.02.2023 के अनुपालन में आज दिनांक 13.6.23 को मेसर्स सागर ईट उद्योग रामपुर उकथी सदर जनपद–वाराणसी को जिला प्रशासन के साथ निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उद्योग प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईंट भट्ठा बन्द कराया गया–

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
1	जितेन्द्र कुमार (R.I) जिला पंचायत वाराणसी 13/6/23	
2	चन्द्र प्रकाश तर्मा वैज्ञा. निद.	13.06.23
3	अनिल कुमार यादव	
4	ओमप्रकाश इस्ट राजकिरन (मन्शी)	13-06-23; अनिल कुमार यादव (भाई) 13.6.23 बन्दी आदेश प्राप्त किया
5		
6		
7		
8		